स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 294 , दिनांकः 23–11–2020

लूट की घटना मे वांछित व जनपद जालौन से रू० 25,000/- के पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त भागवेन्द्र, जनपद जालौन से गिरफ्तार।

दिनॉकः 22–11–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को लूट की घटना में वांछित व जनपद जालौन से रू0 25,000/– के इनामी अपराधी भागवेन्द्र सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1– भागवेन्द्र सिंह पुत्र चरन सिंह नि0 बम्हौरा, थाना चुर्खी, जनपद जालौन।

बरामदगीः-

1– एक अदद देशी तमंचा .315 बोर
2– दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक :-

मदारीपुर रोड के पास बने यात्री प्रतीक्षालय, थाना कालपी, जनपद जालौन, दिनांक 22–11–2020, समय 20–05 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रमेश कुमार शुक्ल के निर्देशन में एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। उक्त के क्रम में उप निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 चन्द्र प्रकाश मिश्र, मु0आ0 बरनाम सिंह, कान्स0 मृत्युंजय सिंह की एक टीम जनपद जालौन में अभिसूचना संकलन हेतु मौजूद थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त भागवेन्द्र सिंह मदारीपुर रोड के पास बने यात्री प्रतीक्षालय में किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना पर तत्काल जनपद जालौन में मौजूद एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर अभियुक्त भागवेन्द्र सिंह को उपरोक्त स्थान से आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर अभियुक्त भागवेन्द्र सिंह ने बताया कि वह राघवेन्द्र सिंह उर्फ बर्री जनपद औरेया का निवासी है व रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी है। उसके साथ मैंने जालौन, औरेया व कानपुर देहात सहित कई जनपदों में आपराधिक वारदातें की हैं। हम लोग छिप–छिपाकर दिल्ली, गुड़गांव क्षेत्रों में रहते हैं और अचानक आकर कानपुर के आसपास आपराधिक कृत्यों को अंजाम देकर पुनः दिल्ली के आस–पास के क्षेत्रों रहकर अपना छुपाव करते रहते है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना–कालपी, जनपद जालौन पर मु0अ0सं0: 411/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त भागवेन्द्र सिंह जनपद जालौन के अन्य अभियोगों में वांछित चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थानों द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त भागवेन्द्र सिंह का ज्ञात आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 397/19 धारा 392 भादवि थाना कालपी, जनपद जालौन।
2. मु0अ0सं0: 189/2019 धारा–411/413/420/467/468/471 भादवि थाना कालपी जनपद जालौन।
3. मु0अ0सं0 29/2019 धारा 147/148/323/452/504/506 भादवि थाना चुर्खी, जनपद जालौन।
4. मु0अ0सं0 66/2019 धारा 379/411 भादवि थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 411/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कालपी, जनपद जालौन।